





प्रस्तावित नकशा
बीजा - बडगांव
तहसिल शिवगंज

प्लॉन नं. २५/२०२३
प्लॉन नं. २६/२०२३
प्लॉन नं. २३/२०२३
प्लॉन नं. २५/२०२३

221/1

तहसील क मन्ज व/३ तहसिल शिवगंज
क. घाटा - 131, 136 J.R. Act



Kantilal

मामाराम

30/10/2023
ब-कमंग



तहसीलदार, शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिराही)

अज अदालत लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बड़जलास डॉ.नरेश सोनी, आर.ए.एस

प्रार्थी

1.हस्तीमल पुत्र भवुतमलजी जाति माली
निवासी शिवगंज तह0 शिवगंज जिला
सिरोही

2.कांतिलाल पुत्र कपूराराम जाति सरगडा
निवासी बड़गांव तह0 शिवगंज

3.मालाराम दत्तक पुत्र नेमारामजी जाति
मीणा निवासी देवली तह0 शिवगंज

4.पौनीदेवी पत्नी मालाराम जाति मीणा
निवासी बड़गांव निवासी बड़गांव तह0
शिवगंज

अप्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार शिवगंज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रकरण संख्या 85/2023

राजस्व प्रकरण संख्या 86/2023

राजस्व प्रकरण संख्या 83/2023


राजस्व प्रकरण संख्या 84/2023

—:आदेश:—

दिनांक 29.11.2023

उक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थीगणों ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज के पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगणों के कब्जे एवं खातेदारी की कृषि आराजी मौजा बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव भूअभिलेख निरीक्षक शिवगंज, तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 803/2 कुल रकबा 2.4281 हेक्टेयर किस्म बंजर, खसरा नं0 803/5 रकबा 0.8094 हेक्टेयर किस्म बंजर, खसरा नं0 803/4 रकबा 0.8094 हेक्टेयर किस्म बंजर एवं खसरा नं0 803/6 रकबा 0.1619 हेक्टेयर किस्म बंजर भूमि आई हुई स्थित हैं। तहसील शिवगंज के राजस्व रेकॉर्ड को DILRMP के तहत ऑनलाईन करने के दौरान प्रार्थीगणों की कृषि भूमि कब्जा अनुसार मौके पर तरमीम नहीं की गई है तथा वर्तमान में उक्त कृषि भूमि की मौका स्थिति एवं कब्जा स्थिति भिन्न दर्शा रहा है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकॉर्ड के नक्शे में सही सीमांकन नहीं होने से मौके पर कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में न्यायहित में शुद्धि किये जाने हेतु पृथक पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगणों द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों एवं मौका जांच अनुसार पृथक पृथक रिपोर्ट पेश की है परन्तु दिनांक 10.11.2023 को उपरोक्त चारों प्रार्थीगणों द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि उपरोक्त समस्त प्रार्थीगणों के खातेदारी की कृषि मौजा बड़गांव तहसील शिवगंज के मूल खसरा नं0 803 में ही आये हुए है एवं उपरोक्त सभी खातेदारों की कृषि भूमि एक दूसरे से लगती हुई है। जिससे उक्त समस्त प्रार्थना पत्र एक साथ संलग्न कर एक ही आदेश जारी किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत रहेगा। जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने अनापत्ति दर्शित की है। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गहनता से अवलोकन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का एक ही आदेश जारी किया जाना न्यायोचित होने से उक्त चारों प्रकरणों को एक साथ नत्थी करने का आदेश प्रदान किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 29.11.2023 को प्रार्थी अधिवक्ता एवं स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज उपरिथत होकर प्रार्थना पत्र पर बहस की, जिसे सुना गया। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्ध किये जाने को उचित बताया है। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।


अतः तहसीलदार शिवगंज को प्रस्तावित नक्शे अनुसार मौजा बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 803/2 रकबा 2.4281 हैक्टर, खसरा नं० 803/4 रकबा 0.8094 हैक्टर, खसरा नं० 803/5 रकबा 0.8094 हैक्टर, खसरा नं० 803/6 रकबा 0.1619 हैक्टर भूमि की तरमीम प्रस्तावित नक्शा अनुसार शुद्धि किये जाने का आदेश दिया जाता है। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह आदेश आज दिनांक 29.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


(डॉ. नरेश कुमार एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
लेण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 29.11.2023
30

कमांक/कोर्ट/2023/ 88
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :-
तहसीलदार शिवगंज ।


लेण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)